नम्बर
अहकाम
हुक्म की
जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2017

1. गणपतलाल पुत्र सोहनलाल
2. विष्णुदत्त पुत्र श्री सोहनलाल
   दोनों जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद जाट पुत्र श्री छगनलाल जाट जाति जाट निवासी शीतला माता के पास ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. रामस्वरूप पुत्र श्री उदयलाल जाति ब्राम्हण निवासी ब्रम्हपुरी मोहल्ला ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
3. सत्यनारायण कलावत पुत्र श्री माधव प्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी गोरे के सामने बस स्टेण्ड के पास जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
4. वासुदेव दमामी पुत्र श्री कल्याण मल दमामी जाति दमामी निवासी न्यू कॉलोनी जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महादेय, बिजयनगर जिला अजमेर।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर स्थित आराजी ख0 न0 3493 रक्बा 01–18–00 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसके पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है जो मौके पर सीमा विवाद उत्पन्न करते रहते है सीमा समझाईश को नही मानते है। अतः नियमानुसार शुल्क पर पत्थरगढी करवाने की कृपा करावें।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार है और अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार बिजयनगर को रु 1500/– कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0 न0 3493 रक्बा 01–18–00 की जरिये माप एंव सीमांकन पत्थरगढी करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है। तहसीलदार बिजयनगर आदेश की पालना सुनिश्चत करावें।

निर्णय आज दिनांक 3.05.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 17:32:06 IST
Reason: SelfAttested